सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJBIL 2000/1717.
J.P.C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

श्रावण 8, शुक्रवार, शाके 1926— जुलाई 30, 2004
Sravana 8, Friday , Saka 1926—July 30, 2004

भाग 6 ( क )

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि ।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2004

संख्या प. 8 (ग) (46 )नियम/डीएलबी/93/2016:— राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के अन्तर्गत बनाये गये संलग्न जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 स्वीकृत करती है ।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 90 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए.सी.) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर, एतद्द्वारा उपविधियां बनाता है, नामत:-

जयपुर नगर निगम ( विज्ञापन ) उपविधियां, 2004

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव:- (क) ये उपविधियां नगर निगम, जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 2004 कहलावेगी ।

(ख) ये उपविधियां राजस्थान सरकार से स्वीकृत होकर राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(ग) ये उपविधियां जयपुर नगर निगम की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी ।

2. शाब्दिक परिभाषाएं:- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी:-

(क) ''महापौर'' से तात्पर्य नगरनिगम के महापौर से है ।

(ख) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 73 (3) के अन्तर्गत नगर निगम की गठित वित्त समिति के अध्यक्ष से है ।

(ग) ''अनुज्ञा पत्र'' (लाईसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले या प्रदान किये गये अनुज्ञापत्र से है ।

(घ) ''अनुज्ञापत्रधारी'' (लाईसेंसी) से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, तथा इसमें इसका अधिकर्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है ।

(ङ) ''आयुक्त'' से तात्पर्य जयपुर नगर निगम के उस अधिकारी से है जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

(च) ''नगर निगम सूचना पट्ट'' से अभिप्रेत निगम द्वारा निर्धारित पट्ट से है जो किसी भी प्रकार के सूचना पत्र, विज्ञापन, वात विपत्र, (होर्डिंग) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये निगम् द्वारा निश्चित किया किया गया हो ।

(छ) ''निगम'' से अभिप्रेत जयपुर नगर निगम से है ।

(ज) "विज्ञापन" से अभिप्रेत ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट प्लेकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र, नाम पट्ट, विद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, वाल पेन्टिंग, प्रतीक चिन्ह (ऐम्बलम) चल वाहनों पर विज्ञापन व होर्डिंग्स आदि से है जो किसी भवन, भूमि दीवार या आकाश, चल-अचल वाहन/वस्तुएं पर प्रदर्शित हो तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।

(झ) "परिष्कृत क्षेत्र" (सोफिस्टीकेटेड एरिया) से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्र से है जो लाईसेंन्सिंग आथोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।

(य) "विज्ञापन समिति" से अभिप्रेत उस समिति से है जिसका गठन निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जावेगा एवं जिसे एतदर्थ इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ अधिनियम की शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा।

(र) "खतरनाक विज्ञापन प्रदर्श" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन केवल दृष्य मात्र होने से खतरनाक नहीं होगा और कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नहीं माना जावे, इस बारे में निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

(ल) "लघु विज्ञापन पट्ट" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 12 फिट ×8 फिट से छोटे हों।

(व) "विज्ञापन समीक्षा समिति" से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उपविधियों में अंकित की गई है।

(स) "निर्दिष्ट स्थान" से तात्पर्य वह स्थान होगा जो निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

(श) जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं किये गये हैं उनके सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम, 1959 में दी गई परिभाषाऐं लागू होगी।

3. **निषेद्ध**:- (1) निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल, आकाश, मार्ग मय फुटपाथ, पेड, नगर प्राचीर, नगरद्वार बिजली या टेलीफोन के खम्बों, चल-अचल वाहनों/वस्तुओं पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नहीं लगायेगा और ना ही चिपकवायेगा/चित्रित/प्रदर्शित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्बे, चलवाहन, डेयरी बूथों, कियोस्क एवं शुलभ सौचालय, बस सैल्टर्स, रोड डिवाईडर पर नहीं लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा ना ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करे। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नहीं इसका निर्णय लाईसेंस आथोरटी द्वारा किया जावेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा न लिखेगा न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृति देगा।

4. **अनुज्ञापत्र प्राप्ति की प्रणाली**:-(क) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर आईरन ऐंगिल का स्ट्रेक्चर लगाकर निगमद्वारा उपबन्धित रीति से विज्ञापन लाईसेंन्सी द्वारा किया जा सकता है, जिसका लाईसेंस खुली नीलामी के अधार पर निर्णित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझें तो इन उपविधियों के अनुरुप मौजूदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाई जाकर किया जावेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी अवश्य होगी।

(ख) वृक्ष कबच (ट्री गार्डर्स), रोड डिवाईडरों, बस सैल्टरों, सुलभशौचालयों, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट/विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्श लाईसेंस खुली नीलामी/बीओटी आधार पर किया जा सकेगा। जिनकी शर्तों का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जावेगा। ट्री गार्डर्स एवं रोड डिवाईडर्स की रैलिंग पर केवल छोटे वृत्ताकार अथवा आयताकार विज्ञापन की ही अनुमति दी जायेगी।

(ग) विद्युत चलित/इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन प्रदर्श निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा दिये जायेंगे।

(घ) यदि आवेदन पत्र नगरपालिका सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो, आवेदक उतनी ही प्रतियां विज्ञापनों के साथ में प्रस्तुत करेगा, जितनी कि वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र में उन सब नगरनिगम

सूचना पट्टों का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का वह इच्छुक है । लेकिन ऐसी सूचनायें अथवा विज्ञापन पत्र 60×80 सेंटीमीटर से अधिक बड़े नहीं होंगे । ऐसे विज्ञापन पत्र की शुल्क (फीस) प्रतिदिन 10 रुपये 60×80 सेन्टीमीटर के हिसाब से होगी । विज्ञापन प्रदर्श अवधि 15 दिवस से अधिक नहीं होगी ।

(ङ) (1) इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेंसिंग आथोरिटी) होंगे ।

(2) विज्ञापन समीक्षा समिति के अध्यक्ष महापौर होंगे एवं निम्नांकित सदस्य होंगे, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगी:-

1. उपमहापौर, जयपुर नगर निगम ।
2. विज्ञापन समिति के अध्यक्ष (जिन्हें नगर निगम द्वारा धारा 73 में विज्ञापन प्रदर्श से सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजित किये हों) ।
3. आयुक्त जयपुर नगर निगम जो सदस्य सचिव होंगे ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जयपुर नगर निगम ।
5 वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम जयपुर ।
6. पुलिस अधीक्षक यातायात या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी ।
7. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
8. अन्य दो व्यक्ति जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि के रुप में नगर निगम द्वारा मनोनीत किया जावे, जो समय-समय पर निगम द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे ।

5. इन उपविधियों की उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा, यदि- (1) आवेदन-पत्र में उपविधियों के क्लॉज संख्या 4 शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है ।

(2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा अशिष्ट या अश्लील हैं या महिला विरुपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये कलेशकर है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमें अश्लील अथवा नग्न अथवा नशे के चित्र, संकेत या लिखित रुप में प्रदर्शित किये गये हैं ।

(3) विज्ञापन से जन शांति भंग होने का अन्देशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन कल्याण में बाधक हो ।

(4) विज्ञापन इन उपविधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है ।

6. आयुक्त को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहें वे मुद्रित हो या लिखित या चित्रित हों या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हो जिनमें शान्ति भंग होने का अंदेशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या जनकल्याण में बाधक हो या उपविधि 5 के अन्तर्गत अस्वीकार किये गये या बिना स्वीकृति लगाये गये हों । यदि पट्ट निजी है और गन्दी व भद्दी हालत में रखा जाता है तो उसे हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करा सकेंगे । लाईसेंसिग अथोरिटी द्वारा हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और हटाने का खर्चा जो भी वह निश्चित करेंगे, उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है ।

7. प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्शन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है, जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जावें ।

8. इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र अहस्तान्तरणीय होंगे । विज्ञापनप्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा ।

एडवरटाईजिंग एजेन्सीज/संस्थाएं भी अनुज्ञापत्र इन उपविधियों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेंगे ।

9. इन उपविधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी उनके लिए निगम किसी प्रकार की क्षति को उत्तरदायी नहीं होगी और न वह शुल्क राशि ही लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है [illegible]

10. नगर निगम द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी निजी भूमि एवं भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे बशर्ते कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश पर कुप्रभाव न पड़े एवं ऐसे निजी भवन पर नगर निगम के सूचना पट्ट का निर्माण करना चाहता हो तो उसका किराया अथवा मुआवजा उचित मात्रा निगम द्वारा निश्चित किया जाकर भवन के स्वामी, विज्ञापनकर्ता को दिया जा सकेगा । विज्ञापन प्रदर्श हेतु भवन की उपयुक्ता के सम्बन्ध में विज्ञापनकर्त्ता को (भार वहन करने की क्षमता) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । विज्ञापन पट्टों का साईज लाईसेंस अथोरिटी निश्चित करेंगे ।

11. नगर निगम सूचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा कि-

(1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है, तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकेगा और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा इसके लिए अनुमति जारी करेगा ।

(2) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापस आवेदक को लौटा देगा ।

(3) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है, तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी ।

12. (1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । किसी भी व्यक्ति/एडवरटाईजिंग कम्पनी द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इकजाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा । प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ स्थान का रेखाचित्र जो किसी ड्राफ्टमैन द्वारा बनाया गया हो दिशा एक विशिष्ट स्थान से सही दूरी आदि की विस्तृत जानकारी हो, विज्ञापन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी लाईसेंसिंग अथोरेटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बताई गई हैं, संलग्न करना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा भवन का स्वामी अपने भवन की ऐसी दीवार/छत पर जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का ग्लोसाईन/विज्ञापन बोर्ड लगाना चाहेगा अथवा किसी प्रकार का विज्ञापन लिखने, लिखवाने अथवा चित्रित करेगा या चित्रित करवाने केलिए आवेदन पत्र देगा उसे भी निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगा:-

(1) निजी भूमि/भवनों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 41 रुपये प्रति वर्गफिट आवेदन के साथ पूरे वर्ष का जमा करवायेगा । इसमें तीन वर्ष पश्चात् नगर निगम जो उचित समझे उस अनुपात में वृद्धि राज्य सरकार की स्वीकृति से कर सकेगा ।

(2) यदि आवेदक स्वयं भूमि/भवन का मालिक नहीं है तो उसे भूमि/भवन के मालिक का ऐसे विज्ञापन लगाने का लिखित स्वीकृति पत्र आवेदन, पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(3) लाईसेंस की अधिकतम अवधि एक वर्ष रहेगी जो कि वित्तीय वर्ष (अप्रेल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी ।

(4) विज्ञापन दीवार पर ही लिखा या चित्रित किया जावेगा तो लाल, बेंगनी रंग से पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में सफेद अक्षरों से और सफेद पेन्ट किया हुआ होने की सूरत में लाल रंग के अक्षरों से लिखना होगा अथवा निगम द्वारा निर्दिष्ट रंग व नाप का होगा ।

(5) ऐसे विज्ञापन की दीवार पर लिखाई अथवा दीवार पर चित्र ठीक और सुन्दर हालत में रखना होगा ।

(6) चल वाहनों पर विज्ञापन का शुल्क देकर विज्ञापन की स्वीकृति लाईसेन्सींग ऑथोरिटी से प्राप्त करनी होगी ।

(7) निजी सम्पत्तियों पर किया गया विज्ञापन किसी भी सूरत में सडक की सतह से 18 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होगा ।

(8) निजी सम्पत्तियों पर अनुमत विज्ञापन की साईज लम्बाई 20'×ऊँचाई20' से अधिक नहीं होगी । विज्ञापनों के मध्य न्यूनतम 1 फिट की दूरी रखनी होगी ।

(9) शहर की सौन्दर्यता को बनाये रखने के लिये निगम की शर्तों का पालन करने पर फिल्म पोस्टरों के विज्ञापन करने हेतु दरें अन्य विज्ञापन दरों से भिन्न होगी जो निगम बोर्ड द्वारा निश्चित् की जावेगी एवं शर्तें विज्ञापन समिति निर्धारित करेगी ।

13. प्रतिबन्धित:-

(1) कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जावेगा जिससे वाणिज्यिक संस्थान के ऊपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जावें ।

(2) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुंडेर पर अनुमत नहीं किया जावेगा । वाणिज्यक संस्थान अपना नाम पट्ट साईज़ 7'×1' नि:शुल्क लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्श नहीं करेगा ।

(3) कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सडक की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा ।

(4) कोई भी विद्युत् चालित विज्ञापन मुख्य सडक के चौराहों के केन्द्र से किसी ऊँचे भवन के सिर पर 40 फिट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा ।

(5) (i) विज्ञापन होर्डिंग्स किसी दोराहे, तिराहे या चौराहे में रुकावट करते हुए अनुज्ञापित नहीं किया जा सकेगा लेकिन सडक सेंटर से दूरी हर हालत में 30 फीट से कम नहीं होगी ।

(ii) विज्ञापन होर्डिंग्स का साईज कम से कम 12 फिट×8 फिट का होगा व अधिकतम 20 फिट×20 फिट का होगा इसका निचला भाग जमीन की सतह से 7 फीट की ऊँचाई पर रहेगा तथा जमीन से 7 फीट की अधिक ऊंचाई नहीं ली जायेगी और जमीन से ऊँचाई 27 फिट लम्बाई 20 फिट से अधिक नहीं होगा ।

(6) कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिन्ह या पट्ट में अंकित चिन्हों के रंग या नाम से पृथक होगा । ऐसे विज्ञापन द्वारा रुकावट नहीं डाली जावेगी ।

(7) कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन में बाधक अथवा खतरनाक (हजार्डअश) हो अनुमत नहीं किया जावेगा, लेकिन विज्ञापन प्रदर्श केवल दृश्य मात्र से यातायात में बाधक/खतरनाक नहीं माना जायेगा ।

(8) कोई भी विज्ञापन नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 एवं यथा संशोधित के तहत प्राधिकृत अथोरिटी के द्वारा बनाये गये नियमों निबन्धनों के विरुद्ध नहीं होंगे ।

(9) किसी भी सडक के आर-पार किसी प्रकार का कोई विज्ञापन न तो लटकाया जावेगा और न प्रदर्शित किया जावेगा जिससे कि सामान्यत: वाहन चालकों की दृष्टि उन पर पड़े ।

(10) नगर प्राचीर व दीवार, सार्वजनिक भवनों कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, राष्ट्रीय स्मारक, पुलों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा ।

14. मुक्तियां:- जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा:-(1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का निर्देश दें । उदाहरणार्थ सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बन्धी विज्ञापन व पैट्रोल स्टेशनों पर पैट्रोल पम्प सम्बन्धी चिन्ह वृत्ताकार में 2 ½'×2 ½' लगा सकेगा ।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन प्रदर्श में छूट प्रदान की जा सकेगी ।

15. कोई व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/शटर पर अपना नाम/व्यवसाय का नाम प्रदर्श, अंकित करता है, चित्रित करता है तो उसे सफेद/काला/लाल रंग में चित्रित/अंकित किया जावेगा, किन्तु निर्धारित साईज 7'×1' से अधिक बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा ।

16. निम्नांकित हलविपत्र अथवा सूचनाएँ निर्धारित स्थलों पर निःशुल्क चिपकाई जावेगी:-

(1) वे समस्त सूचनाऐं जो नगरपालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होगी ।

(2) वे समस्त सूचनाऐं जो विशुद्ध धार्मिक हो अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा उपविधि 15 में अंकित है ।

17. कोई भी व्यक्ति नगर निगम के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचावेगा ।

18. निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में इन उपविधि में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करें ।

19. इन उपविधियों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा ।

20. इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश की अपील निगम को आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि में की जा सकेगी । निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय याद दिया जावेगा, निगम इस उपनियम के अधिकार किसी कमेटी को दे सकेगा ।

21. न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापिस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका समझौता नियम, 1966 के प्रावधानानुसार होगा ।

22. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायाधीश द्वारा 1000/- रुपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक 200 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा ।

23. अर्थदण्ड की धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 95 व 268 के अनुसार निगम कोष में हस्तान्तरित की जावेगी ।

24. सरकार/न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलों के अतिरिक्त लाइसेंस शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नहीं हटा सकेगा ।

25. कोई भी व्यक्ति, संस्था, विभाग, रेल्वे, परिवहन विभाग किसी भी विज्ञापन का प्रदर्श नगरनिगम सीमा क्षेत्र में सडक/मार्ग से दिखाई देने की स्थिति में इन उपविधियों के अन्तर्गत शुल्क जमा करा कर अनापत्ति प्राप्त कर ही प्रदर्श करेगा । बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रदर्श को अवैध मानकर नगर निगम हटा सकेगा ।

26. विज्ञापन से सम्बन्धित कोई वाद होने पर विज्ञापन समिति में अपील की जा सकेगी एवं उसका निर्णय होने पर ही वह म्यूनिशिपल बाईलॉज के तहत आगे अपील कर सकेगा ।

27. **निरसन और व्यावृत्तियां:-** इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् नगर परिषद, जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां, 1974 इसके द्वारा निरसित किये जाते है ।

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व में निरसित उपविधियों, उपनियमों, प्रस्ताव, विज्ञप्तियां आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उपविधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उपविधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो । परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित उपविधियों के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गयी किसी शास्ति, समपहरण या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
शिव कुमार शर्मा,
उप शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग ।